

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

मालिका बेगम बनाम हुसैन

किसम मुकदमा :- 53, 88, 188 राज 0 कस्त 0 अधि 0 1955

प्रकरण संख्या 174 सन -2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिप्रियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| | <p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस लतय किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक को पेश हो।</p> <p>3</p> <p>8/12/23 गठामिन अधिकारी के आज मुख्यालय में बाहर दोरे/अवकाश पर होने अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश को गालना में दिनांक 9/12/24 को पेश हो। आदेशानुसार</p> <p>9/12/24 गठामिन अधिकारी के आज मुख्यालय में बाहर दोरे/अवकाश पर होने अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश को गालना में दिनांक 12/11/24 को पेश हो। आदेशानुसार</p> <p>12/14/23</p> <p>12/14/23 अतिरिक्तता वादी को पेश किया कि वे वाद पत्र मालिक बेगम को अतिरिक्तता नहीं है। अतिरिक्तता वादी के खिलाफ वाद मत प्रोसेस में शामिल किया गया है। अतिरिक्तता वादी को अतिरिक्तता नहीं है। अतिरिक्तता वादी को अतिरिक्तता नहीं है।</p> | <p>7827-41 25/10/23</p> <p>8 12/23</p> <p>2</p> <p>Meat process</p> |

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

